पत्रांक–2ब०/नि०भ०–13–01/2015 18 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 05/07/18

विषयः– **विभागीय संकल्प सं०– 2992 दिनांक– 10.06.2015 के आलोक में नगर परिषद्, अरवल के निर्वाचित एवं पदासीन वार्ड पार्षद, श्री वैजनाथ प्रसाद की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित पत्नी श्रीमती बिन्दा देवी को अनुग्रह अनुदान के रूप में ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) मात्र की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

विभागीय संकल्प सं०– 2992, दिनांक– 10.06.2015 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि नगर निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। यह स्वीकृति संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दी जाएगी।

2. जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक– 293/सा०, दिनांक– 06.06.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री वैजनाथ प्रसाद अरवल नगर परिषद् के वार्ड नं०– 07 के निर्वाचित वार्ड पार्षद अपने पद पर पदासीन थे। दिनांक– 12.03.2018 को सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी आश्रित पत्नी श्रीमती बिन्दा देवी को अनुग्रह अनुदान के रूप में ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) भुगतान हेतु अनुशंसा की गई है।

3. विभागीय संकल्प सं०– 2992, दिनांक– 10.06.2015 के प्रावधान एवं जिला पदधिकारी, अरवल की अनुशंसा के आलोक में अरवल नगर परिषद् के निर्वाचित एवं पदासीन वार्ड पार्षद श्री वैजनाथ प्रसाद की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित पत्नी श्रीमती बिन्दा देवी को अनुग्रह अनुदान के रूप में ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल के कार्यपालक पदाधिकारी होंगे,** जिनके द्वारा बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 354, दिनांक– 28.

03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के पश्चात् टी०भी० नं० तिथि एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित महालेखाकार, बिहार एवं सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 के मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 192–नगरपालिकाओं–नगर परिषद् को सहायता, उपशीर्ष– 0102–नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु, विपत्र कोड– **48-2217031920102,** विषय शीर्ष–0102.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, राज्य योजना स्कीम कोड– URB 5074 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में उपबंधित राशि से की जाएगी।

6. राशि की निकासी के उपरांत नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल द्वारा स्वर्गीय वैजनाथ प्रसाद की आश्रित पत्नी श्रीमती बिन्दा देवी को चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 1496, दिनांक– 22.02.08 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं० 2ब०/नि०भ०–13–01/2015 के पृष्ठ सं०–.....18...../टि० पर दिनांक–04.07.2018 को प्राप्त है तथा सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका के पृष्ठ सं०–.....19...../टि० पर दिनांक–04.07.2018 को प्राप्त है।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, अरवल/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

05.07.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/नि०भ०–13–01/2015 18 /न०वि०एवंआ०वि/पटना, दिनांक– 05/07/18

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, अरवल/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय एम०आई०एस० कोषांग, इन्दिरा भवन, पटना को आवंटन के अनुश्रवण हेतु/विभागीय सी०जी०आर०सी० को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.07.18

सरकार के विशेष सचिव।